



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
1/2021-22
दिनांक 28-05-2021

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25-06-2021

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 28-06-2021

आवश्यक: (1) “अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।”
(2) “किसी भी स्तर पर परीक्षणोंपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।”
(3) “अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फाइनल सबमिट इत्यादि) की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।”

विशेष सूचना :- (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।” (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “आन- लाइन आवेदन पद्धति” (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1-आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आनलाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु “APPLY” पर Click करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for

final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- 1-अनारक्षित (सामान्य) — परीक्षा शुल्क ₹0 80 /— आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25 /— योग कुल ₹0 105 /—
- 2-अन्य पिछड़ा वर्ग — परीक्षा शुल्क ₹0 80 /— आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25 /— योग कुल ₹0 105 /—
- 3-अनुसूचित जाति — परीक्षा शुल्क ₹0 40 /— आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25 /— योग कुल ₹0 65 /—
- 4-अनुसूचित जनजाति — परीक्षा शुल्क ₹0 40 /— आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25 /— योग कुल ₹0 65 /—
- 5-विकलांग श्रेणी — परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25 /— योग कुल ₹0 25 /—
- 6-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित — क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
- 7-भूतपूर्व सैनिक — परीक्षा शुल्क ₹0 40 /— आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25 /— योग कुल ₹0 65 /—
- 8-महिला — क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4- सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधन:- आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमत्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

“अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं०, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् 'Authentication through' में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमत्य होगी।”

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, 30प्र0 (एलोपैथी)
3620 (तीन हजार छः सौ बीस) पद चिकित्साधिकारी, ग्रेड-दो (स्तर-2), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, **आरक्षण-** अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, **वेतनमान-** 67700-208700/6600/एकेडमिक लेवल-11, **आयुसीमा-** 21 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है), विशिष्टतावार रिवित्तियों की संख्या निम्नवत् है:-

क.सं.	स्पेशियलिस्ट	मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 11-लेवल 2 (सीधी भर्ती)	विभाग संख्या
1	गायनकोलॉजिस्ट	590	S-8/1
2	एनेस्थेतिस्ट	590	S-8/2
3	पीडियाट्रिशियन	600	S-8/3
4	रेडियोलॉजिस्ट	75	S-8/4
5	पैथोलॉजिस्ट	75	S-8/5
6	जनरल सर्जन	590	S-8/6
7	जनरल फिजिशियन	590	S-8/7
8	ऑपथलमोलॉजिस्ट	75	S-8/8
9	ऑर्थोपेडिशियन	75	S-8/9
10	ई0एन0टी0 स्पेशियलिस्ट	75	S-8/10
11	डर्मेटोलॉजिस्ट	75	S-8/11
12	साइकियाट्रिस्ट	75	S-8/12
13	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	30	S-8/13
14	फॉरेंसिक स्पेशियलिस्ट	75	S-8/14
15	पब्लिक हेल्थ स्पेशियलिस्ट	30	S-8/15
कुल मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 11 (स्तर-2)		3620	

शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :- (अ) अनिवार्य अर्हतायें— (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त ‘पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि’ और, (दो) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री (तीन वर्ष) अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-2019 के अधीन मान्यता प्राप्त ‘स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि’ अथवा इसके समकक्ष उपाधि; **अथवा** (तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (दो वर्ष) अथवा ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-2019 के अधीन मान्यता प्राप्त’ स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अर्हता और इसके साथ सम्बन्धित चिकित्सा परिषद में डिप्लोमा के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सम्बन्धित विशेषज्ञता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।

क्र० सं०	विशेषज्ञ	भाग—क अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि	भाग—ख अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
1	प्रसूति रोग चिकित्सक	एम0डी0 (आब्सटेट्रिक्स एवं गाइनोकालॉजी) एम0एस0 (आब्सटेट्रिक्स एवं गाइनोकालॉजी)	आब्सटेट्रिक्स एवं गाइनोकालॉजी में डिप्लोमा
2	निश्चेतक	एम0डी0 (एनेस्थीसियोलॉजी)	एनेस्थीसिया में डिप्लोमा
3	बाल रोग चिकित्सक	एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स)	चाइल्ड हेल्थ में डिप्लोमा
4	रेडियोलॉजिस्ट	एम0डी0 (रेडियो—डाइग्नोसिस) एम0डी0 (रेडियोलॉजी)	रेडियोडाइग्नोसिस में डिप्लोमा
5	पैथालॉजिस्ट	एम0डी0 (पैथोलॉजी) एम0डी0 (लैब मेडिसिन) एम0डी0 (बायोकेमेस्ट्री)	क्लीनिकल पैथालॉजी में डिप्लोमा, पैथ0 एवं बैक्ट0 में डिप्लोमा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिप्लोमा
6	जनरल सर्जन	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	जनरल सर्जरी में डिप्लोमा
7	जनरल फिजीशियन	एम0डी0 (जनरल मेडिसिन) एम0डी0 (फैमली मेडिसिन) एम0डी0 (इमर्जेंसी मेडिसिन) एम0डी0 (गेरियट्रिक्स)	जनरल मेडिसिन में डिप्लोमा इमर्जेंसी मेडिसिन में डिप्लोमा डायबीटोलॉजी में डिप्लोमा ट्यूबरकुलोसिस एवं चेस्ट डिजीज़ में डिप्लोमा।

8	नेत्र रोग विशेषज्ञ	एम0डी0 (ऑपथलमोलॉजी) एम0एस0 (ऑपथलमोलॉजी)	ऑपथलमोलॉजी में डिप्लोमा ऑपथेलमिक मेडिसिन एवं सर्जरी में डिप्लोमा।
9	हड्डी रोग विशेषज्ञ	एम0एस0 (आर्थोपेडिक) एम0एस0 (ट्रेमेटालॉजी एवं सर्जरी)	आर्थोपेडिक में डिप्लोमा
10	कान, नाक, गला विशेषज्ञ	एम0एस0 (ई0एन0टी0)	ऑटो–राइनो लेरिंगोलॉजी में डिप्लोमा
11	त्वचा रोग विशेषज्ञ	एम0डी0 (डर्मेटोलॉजी) एम0डी0 (वेनीरोलॉजी)	डर्मेटोलॉजी में डिप्लोमा वेनीरोलॉजी में डिप्लोमा लेपरोसी में डिप्लोमा डर्मेटोलॉजीए वेनीरोलॉजी एवं लेपरोसी में डिप्लोमा।
12	मनोरोग विशेषज्ञ	एम0डी0 (साइक्याट्री)	साइकोलॉजिकल मेडिसिन में डिप्लोमा
13	माइक्रोबाय–लॉजिस्ट	एम0डी0 (बैक्टीरियोलॉजी) एम0डी0 (माइक्रोबायोलॉजी)	माइक्रोबायोलॉजी में डिप्लोमा
14	फारेन्सिक विशेषज्ञ	एम0डी0 (फॉरेन्सिक मेडिसिन) एम0डी0 (फॉरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सीकोलॉजी)	फॉरेन्सिक मेडिसिन में डिप्लोमा
15	पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट	एम0डी0 (सोशल एवं प्रीवेन्टिव मेडिसिन) एम0डी0 (कम्यूनिटी मेडिसिन) एम0डी0 (कम्यूनिटी हेल्थ प्रशासन)	कम्यूनिटी मेडिसिन में डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ में स्नातकोत्तर पब्लिक हेल्थ (इपीडिमियोलॉजी) में स्नातकोत्तर अप्लाइड इपीडिमियोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री

(ब) अधिमानी अर्हताएँ— (1) जिसने प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

अन्य सामान्य नोट:— (1) क्शैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में OL (One Leg Affected Right or Left) एवं PB (Partially Blind) श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (2) अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य मेडिकल काउंसिल अथवा एम0सी0आई0 में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा।

सामान्य अनुदेश आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25—06—2021 आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि : 28—06—2021 1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों। 2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। 3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है। 4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2021 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के पदों हेतु) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या–1648/79–5–2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या— 1508/15–08–2015–3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है। 5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। 6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता।
--

साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (**Screening Test**) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी।

(I) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

8. मूल प्रमाण—पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल—प्रमाण—पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण—पत्र।

13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

13.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 18/1/2008—का—2—2008, 3 फरवरी 2008 के साथ संलग्न प्रारूप—1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।

13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या—22/21/1983—का—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र अपेक्षित होगा।

13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या—22/16/92—टी.सी.—III/का—2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

13.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग—2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का—2/19 टी.सी.—।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

13.7 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी

का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

नोट:- शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक - 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/ का-2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या- 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (**Ultra Vires**) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या— 3014, कार्मिक—2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या— 6/1972, कार्मिक—2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या— 453/ 79—वि—1—15—1(क) 14—2015 दिनांक 07—04—2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

16. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा **website** पर "**Contact Us**" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

19. अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

20. नोट:— शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिकित्यों की संख्या घट—बढ सकती है।

परिशिष्ट—1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a '**Declaration**' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the **Declaration** carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on '**I Agree**' or '**I do not agree**' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and

your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on “Preview” button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on “Submit” button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using “Back” button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “Print” OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

-: NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

-: ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration

2. Fee Deposition /Reconciliation

3. Submit Application Form

-: APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode

View Application Status

List of Applications Having photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

-: EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending documents to Commission

[Only for Direct Recruitment]

-: DOWNLOAD SEGMENT

Download Document of Verification for this Examination

Download Admit Card

Download Interview Letter : After Examination

Download Interview Letter : Direct Recruitment

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Latest Tenders

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the

settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-

width= 3.5 cm

Photo

Signature

Height= 4.5 cm

1.5 cm

परिशिष्ट

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला . उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

ANNEXURE

Certificate No. Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum.son/wife/daughter of Shri age. Sex identification mark(c) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness or grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)

(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.*

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

(I) F-can perform work by manipulating with fingers

Yes/No

(ii) PP-can perform work by pulling & pushing

Yes/No

(iii) L-can perform work by lifting

Yes/No

(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching

Yes/No

(v) B-can perform work by bending

Yes/No

(vi) S-can perform work by sitting

Yes/No

(vii) ST-can perform work by standing

Yes/No

(viii) W-can perform work by walking

Yes/No

(ix) SE-can perform work by seeing

Yes/No

(x) H-can perform work by hearing/speaking

Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing

Yes/No

(Dr.) (Dr.) (Dr.)

Member Member Chairperson

Medical Board Medical Board Medical Board

Countersigned by the

Medical Superintendent/

CMO/H lead of Hospital

Page-3

(with seal) * Strike out which is not applicable उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र। प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम— नगर— जिला— उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4 प्रारूप —1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में	स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप — 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीयमें (क्रीड़ा/खेल— कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप — 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नामराज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप — 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा। सचिव
--	--	---